

ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के अनुसार परीक्षा (प्रारम्भिक एवं मुख्य) के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा-दोनों चरणों में अनुभव का अधिमानता अंक जोड़ा जायेगा।

II. मुख्य परीक्षा:-

➤ मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे:-

पत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	कुल अंक	अभ्युक्ति
1.	भाषा (अर्हता) एवं सामान्य अध्ययन	150 भाग-I-30, भाग-II-120	02:30 घंटे	150	प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5) के लिए ➤ यह पत्र दो भाग में होंगे यथा- भाग-I एवं भाग-II ➤ भाग-I-भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा। ➤ भाग-II-सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। ➤ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ➤ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।
2.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग-I-30, भाग-II-40 एवं भाग-III-80	02.30 घंटे	150	मध्य विद्यालय (वर्ग 6-8) के लिए ➤ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा- भाग-I, भाग-II एवं भाग-III ➤ भाग-I-भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा। ➤ भाग-II-सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। ➤ भाग-III- विषय पत्र के लिए उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। नोट:-वर्ग 6-8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि Section-I में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे और यदि अभ्यर्थी द्वारा Section-I में भूगोल विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। ➤ उपरोक्त सभी विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ➤ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।
3.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग-I-30, भाग-II-40 एवं भाग-III-80	02.30 घंटे	150	माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 9 से 10) एवं विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) के लिए ➤ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा- भाग-I, भाग-II एवं भाग-III ➤ भाग-I-भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग

					में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा। ➤ भाग-II- एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। ➤ भाग-III- विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) एवं विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, शारीरिक विज्ञान, संगीत, सामाजिक विज्ञान, बांग्ला, ललितकला, नृत्य, मैथिली, अरबी एवं फारसी। नोट-वर्ग 9-10 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि Section-I में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे और यदि अभ्यर्थी द्वारा Section-I में भूगोल विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। ➤ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ➤ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।
4.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग-I-30, भाग-II-40 एवं भाग-III-80	02.30 घंटे	150	<u>उच्च माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 11-12) के लिए</u> ➤ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा- भाग-I, भाग-II एवं भाग-III ➤ भाग-I-भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा। ➤ भाग-II- एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। ➤ भाग-III- उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, कम्प्यूटर साईंस, व्यवसायिक अध्ययन, उद्यमशीलता, लेखा, बांग्ला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी एवं कृषि। ➤ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ➤ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।

- सभी पदों के लिए ली जानेवाली मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय (MCQ Objective) होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। और कुल अंक 150 होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा।
- मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) किया जायेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए $1/3$ (एक तिहाई) Negative Marking का प्रावधान होगा।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच विकल्प (A,B,C,D,E) प्रदान किये जायेंगे। अभ्यर्थी को एक सही उत्तर (A), (B), (C) या (D) में से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में अंकित करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो विकल्प (E) का चयन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी पाँचों विकल्प (A,B,C,D,E) में से किसी का भी चयन नहीं करता है, तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित (Unanswered) प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए $1/3$ (एक तिहाई) अंक की कटौती की जायेगी।

नोट:—बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, 2023 की कंडिका-7(v) के आलोक में परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा।

- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में मुख्य परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चौत्तीस) प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-10771, दिनांक-17.06.2026 के आलोक में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए देय 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सहित निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक 32 प्रतिशत मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा।
- उक्त विज्ञापन हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

मेधा सूची:—

➤ **वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए मेधा सूची का निर्धारण:—**

मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक (भाग-II) के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबधिक मेधा सूची तैयार करेगा। भाग-II (सामान्य अध्ययन) के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भाषा (अर्हता) (भाग-I) विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा-क्रम निर्धारित होगा। भाषा (अर्हता) (भाग-I) विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

➤ **वर्ग 6 से 8, 9 से 10, विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) एवं 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक के लिए मेधा सूची का निर्धारण:—**

मुख्य परीक्षा के कुल प्राप्तांक (भाग-II एवं III) के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबधिक मेधा सूची तैयार करेगा। कुल प्राप्तांक (भाग-II एवं III) समान होने की स्थिति में चयनित विषय (भाग-III) का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा (अर्हता) (भाग-I) विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा-क्रम निर्धारित होगा। भाषा (अर्हता) (भाग-I) विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

नोट:—CWJC NO.-2270/2024 संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक-29.05.2024 को पारित आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग के संकल्प ज्ञापांक-51, दिनांक-25.01.2018 के तहत सेवा में लिये गये वैसे अतिथि शिक्षकों, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, को आयोग के विज्ञापन संख्या-22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 05 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने का निर्णय लिया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA भी दायर किया गया है। उक्त LPA No.- 593/2024 में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर TRE-4.0 में भी वैसे अतिथि शिक्षक जो निर्धारित योग्यता धारित करते हैं, को प्रत्येक वर्ष के सेवा अवधि के लिए 05 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने का निर्णय पुनः लिया गया है। इस हेतु अतिथि शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

➤ अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं, जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हों, उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं।

नोट:—औपबधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात् पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

➤ साक्षात्कार:-

इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

➤ अधिमानता/प्राथमिकता:-

- प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक वर्ग हेतु आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित आवश्यक अर्हता एवं उम्र के अनुरूप एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे।
- विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा आयोग द्वारा विषयवार एवं जिलावार किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी से जिला चयन हेतु अधिकतम 38 जिलों का विकल्प ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा तथापि अभ्यर्थी का उन्हीं जिलों हेतु परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा, जहाँ के लिए उनके द्वारा विकल्प दिया जाता है। विकल्प के अनुरूप उनकी विषयवार एवं कोटिवार वरीयता नहीं रहने पर उस पद पर दावा अनुमान्य नहीं किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप— यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 10 (दस) जिलों का विकल्प दिया जाता है, तो 10 (दस) जिला में वरीयता के अनुरूप संबंधित विषय/कोटि में रिक्ति उपलब्ध होने पर उनका परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा। अन्य जिला का विकल्प नहीं भरे जाने की स्थिति में शेष बचे जिला हेतु उनका दावा अनुमान्य नहीं किया जायेगा।

5. अन्य निर्देश:-

- (i) कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) संशोधन नियमावली, 2024 के आलोक में अधिकतम 05 (पाँच) बार परीक्षा में भाग ले सकेगा।
- (ii) आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरान्त प्रशासी विभाग संतुष्ट न हो जाय, की अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।
- (iii) आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्व-घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जायेगा।

नोट:-आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा, अनुभव एवं अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। आयोग के द्वारा तैयार औपबंधिक मेधासूची शिक्षा विभाग को भेजने के पश्चात् अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता संबंधी आवेदन में किये गये दावे की सत्यता की जाँच विभाग अपने स्तर पर करने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। आवेदक के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के सत्यापन के पश्चात् मेधासूची को प्रशासी/शिक्षा विभाग संशोधित कर सकेगा।

6. आरक्षण:-

- (i) सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (iii) आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा।
- (iv)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
 - (a) जाति प्रमाण-पत्र
 - (b) स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण-पत्र

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी/अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

- (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 एवं पत्रांक-12123, दिनांक- 23.06.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम, 15/2003 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों (पुरुष/महिला) को ही देय होगा। उक्त पत्रों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से

कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हैं। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (EWS) निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

- (vi) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि	कोटि कोड
1.	अनारक्षित (Unreserved)	UR	01
2.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste)	SC	02
3.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe)	ST	03
4.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
5.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
6.	पिछड़े वर्गों की महिला (Backward Class ladies)	BCL	06
7.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	07

- (vii)(क) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-8962, दिनांक-21.05.2025 के आलोक में बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-962, दिनांक- 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगो (Persons with Benchmark Disability) को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/Civil Surgeon/GMO से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी औपबधिक मानी जायेगी तथा नियुक्ति के पूर्व दिव्यांगता संबंधित जाँच प्रशासी विभाग द्वारा की जायेगी। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या- 10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा- 2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) (40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त) एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2568, दिनांक-11.02.2025 के आलोक में विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों के लिए श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-12575, दिनांक-09.07.2025 के आलोक में संपूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी (आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी) महिलाओं को ही इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति